कार्यालय तहसीलदार–सिकन्द्राबाद जिला–बुलन्दशहर

पत्रांक 3•9 (11) /आर0के0 दिनांकः– 24-4-17

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 5 वर्षीय पट्टे पर उठाने के लिए पटटा शिविर का आयोजन तहसील सिकन्द्राबाद तहसील सभागार कक्ष सं0–14 में दिनांक 19.05.2017 को प्रातः 10.00 बजे से 2.00 बजे तक किया जायेगा। पटटा शिविर में पटटा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या–356–1–2/95 रा0–2 दिनांक 17.10.1995 के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदायों/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पटटा नीलामी हेतु राजस्व संहिता–2006 के अनुसार न्यूनतम बोली हेतु 5,000रू0 प्रति हैक्टेअर प्रति वर्ष होगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित समय व स्थान व नियत तिथि को उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों मे से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन पटटा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।पटटे की अवधि दस वर्ष के लिए होगी। सर्वाधिक बोलीदाता को नीलामी के उपरान्त एक वर्ष का लगान जमा कराना होगा। पटटा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय सिकन्द्राबाद का होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:–

क0सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0में)
1	2	3	4
1	नगला काला	201	0.6070
2	बडौदा	338	0.8600
3	जाहिदपुर	361	0.6700
4	झाझर	987	0.4930
5	चोला	865	0.6200
6	सलौनी उर्फ रौनी	397	1.2010
7	भौरा	594	2.5420
8	दादूपुर नीला	188	0.6700
9	शेखपुर माम	142	0.6830
10	लाडलावास	174	0.8600
11	बहोडावास	156	0.5690

तहसीलदार,
सिकन्द्राबाद।

पत्रांक– /आर0के0/मत्स्य पालन पटटा/2016–17 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय (प्रशासन) बुलन्दशहर को की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी महोदय सिकन्द्राबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बुलन्दशहर/खुर्जा/स्याना/डिबाई/अनूपशहर/शिकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि मत्स्य पालन पटटा शिविर आयोजित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही को दैनिक समाचार पत्रों में अपने स्तर से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
7. अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक सिकन्द्राबाद/चोला/ककोड को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार अपने–अपने ग्रामों में कराने तथा मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पटटा शिविर की तिथि को प्रस्तुत करने हेतु।
9. नायब तहसीलदार सिकन्द्राबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार,
सिकन्द्राबाद।

E/Press vigyati